[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर 2015

सा.का.नि. ---------- (अ)- कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित, पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रस्ताव करती है, जो ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप यह अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार स्वीकार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, उसे सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011 अथवा rajiv.aggarwal@nic.in. पर ई-मेल भेजी जा सकती है;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप और/या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र मे अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में-

खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"(गक) "सम्यक रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक पारेषण" का से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) की धारा 5 के अनुसार अंकीय हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणीकरण अभिप्रेत है ;

3. मूल नियमों में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात:-

"5. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम या इन नियमों से संबद्ध कार्यवाहियों से संबन्धित है और प्रत्येक पेटेंटधारी नियंत्रक को भारत में तामील के लिए एक डाक पता देगा और एक ईमेल पता तथा भारतीय सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त मोबाइल नंबर देगा और ऐसी कार्यवाहियों या पेटेंट से संबन्धित सभी प्रयोजनों के लिए वह पता उन कार्यवाहियों से संबन्धित व्यक्ति या पेटेंटधारी का पता माना जा सकेगा। ऐसा पता न दिये जाने पर नियंत्रक पर यह

बाध्यता नहीं होगी कि वह पेटेंट या किसी भी कार्यवाही प्रारम्भ करे या उस पर कोई कार्य अथवा अधिनियम या इनके नियमों के अधीन दी जाने वाली कोई सूचना भेजे और नियंत्रक इस संदर्भ में स्वतः निर्णय ले सकेगा"।

4. मूल नियमों में, नियम 6 में,-

i) उप-नियम (1) में शब्द "या कोरियर सेवा" जहां जहां वे आते हैं उनका लोप किया जाएगा।

ii) उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित - उप नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात;-

"(1क) उप-नियम (1) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पेटेंट कार्यालय मे रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता सभी दस्तावेज सम्यक प्रमाणीकृत करके सम्यक रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा भेजेगा। परंतु किसी भी फाइल किए जाने वाले मूल दस्तावेज़ की स्कैन की गयी प्रति भी इलेक्ट्रॉनिक रूप मे संप्रेषित की जाएगी।";

iii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:

उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:
"(2) पेटेंटधारी को, पेटेंट रजिस्टर में लिखे हुए उसके डाक पते अथवा ई-डाक पर अथवा नियम 5 के अधीन दिये गए तामील के लिए उसके पते पर अथवा अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी आवेदक या विरोधी को उस आवेदन या विरोध की सूचना में दिये गए, अथवा तामील के लिए दिये गए डाक पतेअथवा ई-डाक, पर भेजी गयी किसी लिखित संसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर उचित रूप से पता लिखा गया है।";

iv) उप-नियम (3) में, शब्द "या कोरियर सेवा" का लोप किया जाएगा;

v) उप-नियम (4) में, शब्द "या कोरियर" का लोप किया जाएगा;

vi) उप-नियम (5) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

vii) "(6) उप-नियम (5) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी आवेदक द्वारा, जहां उसका निवास है अथवा वह व्यवसाय के लिए आया है, वहाँ युद्ध या प्राकृतिक आपदा जिसे उस देश की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया हो उसकी वजह से पेटेंट कार्यालय मे किसी दस्तावेज़ के पारेषण या पुन: प्रस्तुत करने मे विलंब को नियंत्रक द्वारा माफ किया जा सकेगा: परंतु आवेदक नियंत्रक को उस देश की सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण पत्र / अधिसूचना प्रस्तुत करे कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी जिससे प्रसमान्य संचार व्यवधान हो गया था और ऐसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध के समाप्त होने के एक महीने के भीतर यथोचित संभव समय में आवेदक द्वारा सुसंगत कार्रवाई की गयी थी;

परंतु, यह कि नियंत्रक द्वारा माफ किया गया विलंब राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की अवधि से अधिक नहीं होगा।"

5. मूल नियमों में, नियम 7 में,-

i) उप-नियम (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:

"(क) अधिनियम अथवा नियम के अधीन संदेय फीस समुचित कार्यालय में या तो नकद दी जा सकती है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या नियंत्रक, पेटेंट को संदेय और उस स्थान पर किसी अनुसूचित बैंक में आहरित जहां उपयुक्त कार्यालय स्थित है, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा भेजी जा सकेगी। यदि ड्राफ्ट या बैंककार चैक डाक भेजा जाता है तो यह समझा जाएगा कि फीस का संदाय उस तारीख को किया गया है जिसको ड्राफ्ट या बैंकर चैक नियंत्रक को वास्तविक प्राप्त हुआ है।"

ii) उप-नियम (2) में खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

iii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएँगे, अर्थात:-

"4 इस बात के होते हुए भी कि कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं, किसी कार्यवाही की बाबत एक बार भुगतान किया गयी फीस समान्यतः वापस नहीं की जाएगी:

परंतु, यदि नियंत्रक से समाधान हो जाता है कि ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान एक ही कार्यवाही के लिए एक से अधिक बार भुगतान किया गया है तो अतिरिक्त फीस प्रतिदाय कर दी जाएगी:

परंतु, यह और भी कि किसी भी कार्यवाही के लिए अपेक्षित फीस से अधिक भुगतान किया जाता है, तब वह प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

4 क उप-खंड 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 24 ख के उप नियम (1क) के अधीन आवेदन करने पर परीक्षण हेतु अनुरोध के लिए संदत्त फीस प्रथम अनुसूची में निर्धारित सीमा तक वापस की जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप ऐसे परीक्षण हेतु अनुरोध को फाइल नहीं किया समझा जाएगा"।

6. मूल नियमों में, नियम 8 में,उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) जहां किसी प्रयोजन के लिए कोई प्ररूप विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, आवेदक दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप 30 का उपयोग कर सकता है।"

7. मूल नियमों में, नियम 13 में,-

(i) उप-नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(4) जहां आविष्कार का रेखाचित्रों द्वारा स्पष्टीकरण अपेक्षित किया जा सकता हो वहाँ ऐसे रेखाचित्र नियम 15 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाएँगे और उन्हे ब्यौरे और दावे तथा

विशेषताओं के सचित्र वर्णन के संदर्भ में उसके साथ दिया जाएगा एवं उनके हस्ताक्षर द्वारा उस रेखाचित्र में उपयुक्त कोष्ठक में विस्तार से दिया जाएगा:

परंतु सम्पूर्ण विनिर्देश की दशा में, यदि आवेदक अपने अनंतिम विनिर्देश के साथ दिये गए रेखाचित्रों को सम्पूर्ण विनिर्देश के रेखाचित्रों के रूप में या उनके भाग के रूप में वांछा करना चाहता है तो उन्हे ब्यौरे और दावों में इस प्रकार निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि वे वही हैं जो अनंतिम विनिर्देश के साथ दिये गए हैं।";

(ii) उप-नियम (7) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

"(ख) सार विनिर्देश में, अंतर्विष्ट विषय-वस्तु का सूक्ष्म सारांश अंतर्विष्ट होगा और सार में, आविष्कार किस तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, विद्यमान ज्ञान की तुलना में आविष्कार कितना उन्नत है और कल्पित उपयोग को छोड़कर आविष्कार के मुख्य उपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा और जहां आवश्यक हो, सार में उस आविष्कार की विशेषता बताने वाला तकनीकी सूत्र अंतर्विष्ट होगा";

(iv) उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(8) वह अवधि जिसके भीतर निक्षेप के प्रति निर्देश धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (ii) के उपखंड (अ) के अधीन विनिर्देश में किया जाएगा, आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास होगी;

परंतु, शीघ्र प्रकाशन के अनुरोध के मामले में, ऐसा निर्देश खंड 11(क) के उप खंड (2) के अंतर्गत शीघ्र प्रकाशन के लिए अनुरोध फाइल करने की तारीख या उससे पूर्व किया जाना चाहिए।"

(9) यदि विनिर्देश में प्रकट आविष्कार में भारत की जैविक सामग्री का उपयोग होता है, आवेदक को प्ररूप 1 में घोषणा देनी होगी कि पेटेंट अनुदान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत करेगा। और

(10) यदि आवेदक अधिनियम की धारा 21 के अधीन आवेदन के अनुदान के लिए नियम 24 ख और 24 ग में निहित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत नहीं कर पता है, तो नियंत्रक, धारा 15 के अधीन समुचित आदेश पारित कर सकता है।

8. मूल नियमों मे, नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-:

"14. विनिर्देशों मे संशोधन:-

(1) जब पूर्ण विनिर्देश अथवा संलग्न रेखाचित्र संशोधित किया गया हो तो ऐसा पृष्ठ पर संशोधन हैं उसे सतत दस्तावेज़ के लिए रूप मे पुनः टंकित और प्रस्तुत किया जाये।

(2) विनिर्देश अथवा रेखाचित्र जिसमे संशोधन किया हो उसकी एक चिह्नित प्रतिलिपि संशोधनों को दर्शाती और वह भाग दर्शाती जहां संशोधन किया गया हो (पृष्ठ संख्या और पंक्ति संख्या) भी फाइल की जाये।

(3) संशोधन स्लिप चिपकाकर, या पाद टिप्पणों के रूप में या दस्तावेजों में से किसी की मार्जिन में लिख कर नहीं किए जाएँगे। और

"(क) जब फिर से लिखा पृष्ठ या संशोधनों को शामिल किए हुए पृष्ठ प्रस्तुत किए जाएँगे, तो पहले के पृष्ठ को आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अधिक्रमित और रद्द कर दिया गया है समझा जाएगा"।

9. मूल नियमों मे, नियम 20 में,उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

'(1) धारा 7 की उप-धारा (1क) के अधीन पेटेंट सहयोग संधि के अंतर्गत किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप आवेदन प्ररूप 1 मे किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, "अंतरराष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप से पेटेंट सहयोग संधि के अंतर्गत फाइल आवेदन जिसमे अनुच्छेद 19 के तहत आवेदक द्वारा किए गए

संशोधन सम्मिलित हैं, और अनुच्छेद 20 के अधीन अभिहित कार्यालय को संप्रेषित, या संधि के अनुच्छेद 34 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के तहत संशोधन अभिप्रेत है।"

10. मूल नियमों में, नियम 24 ख में,

(i) उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियमअंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1क) नियम 24ख के उप-नियम (2) के खंड (i) के अधीन नियंत्रक द्वारा परीक्षक को आवेदन निर्दिष्ट किए जाने से पहले आवेदक द्वारा प्ररूप 29 में आवेदन करके परीक्षण के लिए अनुरोध वापस लिया जा सकता है और ऐसे परीक्षण के लिए अनुरोध को फाइल नहीं किया समझा जाएगा।";

(ii) नियम 24 ख के उप-नियम (2) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"2(i) उप-नियम (1) के अधीन परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल किए जाने पर और धारा 11क के अधीन आवेदन का प्रकाशन होने पर, नियंत्रक आवेदन, विनिर्देश और अन्य संबन्धित दस्तावेज़ परीक्षक को निर्दिष्ट करेगा और यह संदर्भ अनुरोध फाइल करने के क्रम में किया जाएगा:

परंतु यह और कि, धारा 16 के अधीन और आवेदन फाइल करने के संदर्भ में, ऐसे आवेदन का अनुक्रम वही होगा जो पहले उल्लिखित आवेदन का है।

परंतु यह और कि यदि पहले उल्लिखित आवेदन परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है तो अगले आवेदन को परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल होने के तुरंत बाद परीक्षक के पास निर्दिष्ट जाएगा।";

(iii) उप-नियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

"(3) सामान्यतः उप-नियम (2) के खंड (iii) के तहत नियंत्रक द्वारा परीक्षक की रिपोर्ट के निपटान की तिथि से एक मास के भीतर आवेदक या उसके प्राधिकृत

अभिकर्ता को प्रथम परीक्षण रिपोर्ट अन्य अपेक्षित दस्तावेज के साथ प्रेषित की जाएगी:

परंतु, उस दशा में जहां अन्य हितबद्ध व्यक्ति परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल करता है, ऐसे परीक्षण की केवल एक संसूचना उस हितबद्ध व्यक्ति को भेजी जाएगी। और

(4) धारा 21 के अधीन आदेश के लिए किसी आवेदन को प्रस्तुत करने का समय उस तारीख से जिसको आवेदक को परीक्षण का अपेक्षा करने के लिए परीक्षण का प्रथम कथन जारी किया गया था, से चार मास होगा। और

(5) उप-नियम (4) में विहित अवधि की समाप्ति से पूर्व नियंत्रक को उप नियम (4) में विहित प्ररूप 4 में निर्धारित फीस के साथ समय विस्तार के लिए आवेदन किए जाने पर उप नियम (4) की धारा 21 के तहत आदेश के लिए किसी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय का दो मास के लिए विस्तार किया जा सकता है।

(6) नियंत्रक उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्रथम परीक्षण रिपोर्ट के अंतिम उत्तर प्राप्त होने से छह मास की अवधि के भीतर या अधिनियम की धारा 21 के अधीन अनुदान के लिए आदेश के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, जो भी पूर्ववर्ती हो उस अवधि मे आवेदन का निपटारा करेगा।

(7) उप-नियम (6) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वे आवेदन जिनकी प्रथम परीक्षण रिपोर्ट का उत्तर पेटेंट (संशोधन) नियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख या उससे पहले फाइल किया गया है, और उप-नियम (4) और उप-नियम (5) मे विहित अनुदान हेतु आदेश के लिए आवेदन की तारीख निकल गयी है, नियंत्रक ऐसे आवेदनों का निपटारा अंतिम उत्तर प्राप्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर करेगा।"

11. नियम 24 ख के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

" **24 ग आवेदनों का त्वरित परीक्षण,-**(1) आवेदक प्ररूप 18 क में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ निम्नलिखित आधारों पर सम्यक रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा नियम 24 ख में विहित अवधि के भीतर शीघ्र परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात:-

(क) आवेदक ने उसके अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आवेदन नियम 19 क और 19 च जैसा लागू हो, के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण और/ या अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षा प्राधिकारी, के रूप मे अभिहित किया है; या

(ख) आवेदक या उसके समनुदेशिती या भावी विनिर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) ने भारत में आविष्कार का निर्माण शुरू कर दिया है, या

(ग) आवेदक या उसके समनुदेशिती या भावी निर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) यह वचनबंध देते हैं कि पेटेंट अनुदान की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर आविष्कार का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा:

परंतु, (ख) और (ग) के अधीन फाइल किए गए त्वरित परीक्षण के लिए आवेदनों पर निम्न स्थितियों में से प्रत्येक की पूर्ति के बाद विचार किया जाएगा, अर्थात:-

i) आवेदक, त्वरित जांच के लिए अनुरोध फाइल करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित पर्याप्त पूंजी और निर्माण के लिए अपेक्षित सुविधाओं या पर्याप्त मात्रा में भारत में आविष्कार का निर्माण कर सकने के समर्थन में एक साक्ष्य के रूप में भारत के एक अनुसूचित बैंक या अधिकृत वित्तीय संस्था या प्रमाणित लेखा परीक्षक से एक पुष्टि बयान प्रस्तुत करेगा; और

ii) भावी विनिर्माता जो अनुज्ञप्तिधारी होगा, लाइसेंसधारी के साथ आवेदक या उसके समनुदेशिती द्वारा किया गया अनुज्ञप्ति करार प्रस्तुत करेगा, और

iii) अनुरोध किये गये विनिर्देश के दावों की संख्या बीस से अधिक न हो और एक ही आविष्कार या आविष्कारों के समूह जिनकी एकल मौलिक अवधारणा से संबन्धित हों, और

iv) आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी विनिर्माता (अनुज्ञप्तिधारी), शीघ्र प्रकाशन के लिए आवेदन करते समय प्ररूप 27 क में इस प्रभाव का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा-

क) यदि पेटेंट अनुदान होता है तो अनुदान की तारीख से दो वर्ष के भीतर आविष्कार का निर्माण प्रारम्भ हो गया है या प्रारम्भ हो जाएगा;

ख) भारत में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित मात्रा में आविष्कार का विनिर्माण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित पूंजी और सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

ग) आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी निर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) स्वयं को या उसको अपेक्षित मात्रा में भारत में पेटेंट आविष्कार का निर्माण करने के लिए बाध्य करता है।

(3) जिस आवेदक ने पहले से नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल कर दिया है, वह उस उक्त अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन यथाअपेक्षित बकाया फीस का भुगतान कर और वांछित दस्तावेज़ जमा कर नियम 24 ग के तहत त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध के रूप में परिवर्तित कर सकता है और परिणामस्वरूप त्वरित परीक्षण के लिए दाखिल ऐसे अनुरोध दाखिल करने की तारीख वह होगी जिस तारीख को आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेज़ के साथ परिवर्तन हेतु फीस का संदत्त किया गया हो।

(3) यदि आवेदक उस आधार का समाधान करने में असफल रहता है जिसके आधार पर परीक्षण के लिए त्वरित अनुरोध फाइल किया गया है अथवा उप-नियम (1) में यथा उल्लिखित शर्तों में से किसी को पूरा करने में विफल रहता है तो नियंत्रक ऐसे अनुरोध को त्वरित परीक्षण के लिए परीक्षक के पास नहीं भेजेगा और आवेदक को सूचित करते हुए उस अनुरोध पर नियम 24 ख के तहत ही कार्यवाही की जाएगी:

परंतु, त्वरित परीक्षण के लिए प्रदत्त फीस प्रतिदाय नहीं की जाएगी।

(4) त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, नियंत्रक उसे आवेदन और विनिर्देश और अन्य दस्तावेज़ के साथ अनुरोध फाइल होने के क्रमानुसार परीक्षक को निदेशित करेगा।

(5) वह अवधि जिसके भीतर परीक्षक, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट बनाएगा, वह साधारणतया नियंत्रक द्वारा उन्हें वह आवेदन प्रेषित करने की तारीख से एक मास होगी किन्तु दो मास से अधिक नहीं होगी।

(6) जिस अवधि के भीतर नियंत्रक परीक्षक के रिपोर्ट का निपटान करेगा वह नियंत्रक द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख से साधारणतया एक मास होगी।

(7) आवेदन और विनिर्देश के साथ प्रथम परीक्षण रिपोर्ट नियंत्रक द्वारा आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को तुरंत किन्तु परीक्षक अपश्चात के रिपोर्ट के निपटान के एक महीने के भीतर भेजी जाएगी।

(8) त्वरित परीक्षण के उत्तर में प्रथम परीक्षण रिपोर्ट का उत्तर और परवर्ती उत्तर, यदि कोई हो, पर उसी अनुक्रम में कार्य किया जाएगा जिस क्रम में वे प्राप्त होंगे।

(9) धारा 21 के अधीन किसी आवेदन को अनुदान करने के लिए प्रस्तुत करने का समय उस तारीख से चार मास का होगा जिससे आवेदक को अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए परीक्षण का प्रथम कथन जारी किया गया था।

(10) उप नियम (9) में यथाविहित धारा 21 के अधीन किसी आवेदन को अनुदान के लिए प्रस्तुत करने के समय में दो महीने का और विस्तार और दिया जा सकता है जब उप-नियम (9) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि समाप्ति के पूर्व नियंत्रक के समक्ष विहित फीस के साथ समय विस्तार के लिए प्ररूप 4 पर विस्तार हेतु अनुरोध किया गया हो।

(11) नियंत्रक, उस आवेदन का निपटान प्रथम परीक्षण रिपोर्ट के अंतिम उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर या धारा 21 के अधीन आवेदन को अनुदान के लिए प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पूर्ववर्ती हो, करेगा।

(12) "आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी विनिर्माता प्रत्येक वर्ष भारत में उस आविष्कार के विनिर्माण संबंधी प्रास्थिति रिपोर्ट नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(13) उप-नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक शासकीय जर्नल में उस त्वरित परीक्षण की सूचना प्रकाशित कर वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध की

संख्या सीमित कर सकता है।

. नियम 24 ग के पश्चात, नया नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"नियम 24 घ. विरोध कार्यवाही और मिथ्या अभ्यावेदन का परिणाम (1) उस आवेदन को प्रक्रियागत करने के लिए जिसके लिए त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध फाइल किया गया है, अनुदान पूर्व और अनुदानोत्तर विरोध प्रक्रिया के लिए अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियम के संगत उपबंध, यथास्थिति, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) आवेदक या उसके समनुदेशिती या भावी विनिर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा त्वरित परीक्षण फाइल करने और उसके बाद कोई निराधार सूचना/निराधार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, अथवा त्वरित परीक्षण सुविधा का लाभ उठाकर पेटेंट प्राप्त करने और पेटेंट अनुदान के बाद अधिनियम और नियमों में विहित शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन निरसन हो सकता है, यदि अनुदत्त हो।

12. मूल नियमों मे, नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"26. धारा 11ख की उप-धारा (4) के तहत आवेदन के प्रत्याहर का अनुरोध प्ररूप 29क में किया जाएगा।"

13. मूल नियमों मे, नियम 28 में, उप-नियम (5) के बाद निम्नलिखित उप-नियम (6)अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(6) वीडियो-कनफेरेंसिंग या अन्य व संचार के माध्यम से भी सुनवाई की जा सकती है और, उन मामलों में, सुनवाई की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर लिखित निवेदन और सम्बद्ध दस्तावेज़ फाइल किए जाने चाहिए।"

"स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "संचार के युक्ति" का पद वही है जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के 21 की धारा 2 की उप-धारा (ii) के खंड (ज क) मे दिया गया है।

14. मूल नियमों मे, नियम 55 में, उप-नियम (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएँगे, अर्थात:-

"(4) उप-नियम (3) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक, यदि वांछा हो, तो नोटिस की तारीख से तीन महीने के भीतर अपने आवेदन के समर्थन में अपना कथन और साक्ष्य, यदि कोई हो, विरोधी को एक प्रति देते हुए,फाइल करेगा।

(5) आवेदक द्वारा फाइल किए गए कथन और साक्ष्य पर विचार कर नियंत्रक या तो उस आवेदन पर पेटेंट अनुदान अस्वीकार कर सकता है अथवा पेटेंट अनुदान करने से पहले पूर्ण विनिर्देश और अन्य दस्तावेज़ में समाधान होने तक संशोधन करने की माँग कर सकता है।

(6) सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि उसका अनुरोध किया गया हो, पर विचार करने के बाद नियंत्रक साधारणतया उस अभ्यावेदन पर उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण होने से एक महीने के भीतर अपना निर्णय देगा।"

15. मूल नियमों मे, नियम 71 में उप-नियम (2), के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) वह समय सीमा जिसके भीतर नियंत्रक उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए अनुरोध का निपटान, प्रतिरक्षा और आण्विक ऊर्जा से संबन्धित आविष्कारों के लिए किए गए आवेदनों के अतिरिक्त, समान्यतया वह अनुरोध फाइल किए जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर होगी।

(3) प्रतिरक्षा और आण्विक ऊर्जा से संबन्धित आविष्कारों के लिए किए गए आवेदनों के संदर्भ में इक्कीस दिनों की अवधि की गणना केंद्रीय सरकार से सहमति प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।"

16. मूल नियमों मे, नियम 93 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"93. नवीकरण फीस की प्रवृष्टि :- पेटेंट के संबंध मे निर्धारित नवीकरण फीस का भुगतान प्राप्त होने पर, नियंत्रक पेटेंट रजिस्टर में उस शुल्क के भुगतान की तारीख और इस तथ्य की प्रविष्टि करेगा कि फीस का भुगतान कर दिया गया है और पेटेंट नवीकरण प्रमाणपत्र निर्गत करेगा।"

17. मूल नियमों मे, नियम 103 मे, उप-नियम (2) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

(ii) न्यूनतम पंद्रह वर्ष तकनीकी, व्यवहारिक और अनुसंधान अनुभव हो; और"

18. मूल नियमों मे, **नियम 103 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:**

"103क. वैज्ञानिक सलाहकार नामावली मे नाम सम्मिलित होने की निरर्हताएं - कोई व्यक्ति वैज्ञानिक सलाहकार नामावली मे शामिल होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह -

(i) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णीत किया गया हो;

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(iii) अनुन्मोचित दिवालिया होने पर भी, उसने न्यायालय से इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि उसके दिवालियापन का कारण उसकी ओर से किसी अवचार के बिना ही दुर्भाग्य था;

(iv) भारत मे या भारत के बाहर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास का दण्ड दिया गया है, जब तक कि जिस अपराध का उसे

सिद्धदोष ठहराया गया है वह क्षमा न कर दिया गया हो या उसके द्वारा दिये गए आवेदन पर केंद्रीय सरकार ने इस निमित आदेश द्वारा, निर्योग्यता हटा न दी हो;

(v) वृत्तिक अवचार का दोषी है; या

(vi) उपेक्षा या अवचार का दोषी है।"

19.. **मूल नियमों मे, नियम 104 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-**

"104. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली मे सम्मिलित होने के लिए आवेदन की विधि - कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अपना बायोडाटा देने पर अपना नाम वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली मे सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकता है।"

20. . **मूल नियम नियमों मे, नियम 107 मे, खंड (ग) और उसमे दिये गए उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-**

"(ग) ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो और कारावास का दण्ड दिया गया हो या वह अपनी वृत्तिक हैसियत मे कदाचार का दोषी रहा हो और नियंत्रक की यह राय हो कि उसका नाम नामावली से हटा दिया जाना चाहिए; या

(घ) जब उसकी मृत्यु हो जाए;

परंतु , ऊपर खंड (ख) के अधीन मामलों के सिवाय, इस नियम के अधीन वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।"

21. **मूल नियमों मे, नियम 108 के** उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

(1) धारा 125 के अधीन रखे गए पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर मे प्रत्येक पंजीकृत पेटेंट अभिकर्ता के नाम, राष्ट्रीयता, कारोबार का मुख्य स्थान का पता, शाखा कार्यालयों के पते, यदि कोई हों, अर्हताएँ, रजिस्ट्रीकरण की तारीख और रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा।

22. **मूल नियमों मे, नियम 109 मे,** उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 110 के अधीन परीक्षा मे शामिल होने की बांछा करता है, परीक्षा की अधिसूचना के उपरांत और अधिसूचना मे निर्दिष्ट अवधि के भीतर, प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट फीस के साथ नियंत्रक को अनुरोध करेगा।"

23. **मूल नियमों मे, नियम 116 मे, खंड (घ) के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-**

"(घ) जब उसने नियम 115 मे विनिर्दिष्ट फीस के संदाय मे उनके देय होने के तीन मास पश्चात तक व्यतिक्रम किया हो; या

(ङ) वह भारत का नागरिक नहीं रहता है;

परंतु, खंड (क) और (ख) के अंतर्गत छोड़कर, इस नियम के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।"

24. **मूल नियमों मे, नियम 129 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-**

"129क - सुनवाई का स्थगन - पेटेंट के लिए आवेदक या कार्यवाही का पक्षकार, सुनवाई की तारीख से कम से कम पाँच कार्य दिवस पहले उचित कारण पर प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट फीस के साथ सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध कर सकता है और नियंत्रक, यदि वह ऐसा

करना ठीक समझे और उन निबंधनों पर जो वह निर्दिष्ट करे सुनवाई स्थगित कर सकता है और तदनुसार आवेदक को संसूचित कर सकता है।

परंतु नियंत्रक द्वारा सुनवाई तीन अवसर से अधिक स्थगित नहीं होगी और प्रत्येक स्थगन की अवधि पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी।"

25. **मूल नियमों मे, नियम 133 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-**

"133 - धारा 72 और धारा 147 के अधीन प्रमाणित प्रतियों और प्रमाणपत्रों का प्रदाय करना -

(1) पेटेंट कार्यालय मे रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियाँ, या पेटेंटों से, विनिर्देशों और अन्य सार्वजनिक दस्तावेज़ों, या वहाँ रखे रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों से उद्धरण जिसके अंतर्गत कंप्यूटर फ्लॉपी मे अभिलेख, डिस्केट्स या अन्य इलेक्ट्रोनिक प्ररूप भी हैं नियंत्रक द्वारा उसे किए गए अनुरोध पर और प्रथम अनुसूची मे उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रदाय किए जा सकेंगे

(2) उप-नियम (1) मे किसी बात के होते हुए भी, प्रमाणित प्रतियाँ एक सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रता से प्राप्त की जा सकेंगी यदि ऐसा अनुरोध प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ किया जाएगा।"

26. **मूल नियमों मे, नियम 135 मे,** उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

(1) इस अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकरण आवेदन/दस्तावेज़ फाइल करते समय या ऐसे आवेदन/दस्तावेज़ फाइल करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर प्ररूप 26 मे फाइल किया जाएगा या मुख्तारनामा के प्ररूप मे होगा, अन्यथा ऐसे आवेदनों/दस्तावेज़ों की आगे की प्रक्रिया मे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

27. **मूल नियमों मे, नियम 138 मे,** उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) नियम 13 के उप-नियम (6), नियम 20 के उप-नियम (4) के खंड (i), 24ख, 24ग, नियम 55 के उप-नियम (4), नियम 130 के उप-नियम (1), नियम 130 के उप-नियम (2) और नियम 80 के उप-नियम (1क) में निर्धारित समय को छोड़कर, अन्य नियमों में किसी कार्य को करने या अधीन कोई कार्यवाही करने के लिए विहित समय, नियंत्रक द्वारा यदि वह ऐसा करना ठीक समझे और उन निबंधनों पर जो वह निर्दिष्ट करे एक माह तक बढ़ाया जा सकता है।"

28. मूल नियम मे, प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:-

"प्रथम अनुसूची
(नियम 7 देखिये)

सारणी 1- संदेय फीस

प्रविष्टि की संख्या	जिस पर संदेय है	सुसंगत प्ररूप की सं	ई-फाइलिंग के लिए	भौतिक रूप में फाइल करने के लिए

		ख्या						
			प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए		प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए	
				लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य के लिए		लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य के लिए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	अनंतिम/सम्पूर्ण विनिर्देश के साथ धारा 7, धारा 54 और धारा 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर -	1	1600 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1600 के गुणजों में	4000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4000 के गुणजों में	8000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8000 के गुणजों में	1760 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1760 के गुणजों में	4400 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4400 के गुणजों में	8800 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8800 के गुणजों में
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए (अनुक्रम		(i) 160	(i) 400	(i) 800	(i) 176	(i) 440	(i) 880

	सूची सहित); (ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए; (iii) नियम (9) के उप-नियम (4) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और, या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए		(ii) 320 (iii) 160 अधिकतम 32,000 के साथ	(ii) 800 (iii) 400 अधिकतम 80,000 के साथ	(ii) 1600 (iii) 800 अधिकतम 1,60,000 के साथ	(ii) 352 (iii) 176 अधिकतम 35,200 के साथ	(ii) 880 (iii) 440 अधिकतम 88,000 के साथ	(ii) 1760 (iii) 880 अधिकतम 1,76,000 के साथ
2.	अनंतिम विनिर्देश के पश्चात् सम्पूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों - (i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए; (ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए ।	2	कोई फीस नहीं (i) 160 (ii) 320	कोई फीस नहीं (i) 400 (ii) 800	कोई फीस नहीं (i) 800 (ii) 1600	कोई फीस नहीं (i) 176 (ii) 352	कोई फीस नहीं (i) 440 (ii) 880	कोई फीस नहीं (i) 880 (ii) 1760
3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध फाइल करने पर।	3	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
4.	i) धारा 53(2) और धारा 142(4), नियम	4	480	1200	2400	550	1300	2650

(i)	13(6), नियम 80(1क) और नियम 130 के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति मास)।							
(ii)	नियम 24 ख के उप-नियम (5) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर	4	1000 (प्रति मास)	2000 (प्रति मास)	4000 (प्रति मास)	1100 (प्रति मास)	2200 (प्रति मास)	4400 (प्रति मास)
	नियम 24 ग के उप-नियम (10) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर	4	5000 (प्रति मास)	10000 (प्रति मास)	20000 (प्रति मास)	5500 (प्रति मास)	11000 (प्रति मास)	22000 (प्रति माससी)
5.	नियम 13 के उप-नियम (6) के अधीन आविष्कारवृत्ति की हैसियत में घोषणा फाइल करने पर।	5	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर।	-	800	2000	4000	900	2200	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन निर्देश को हटाने के लिए आवेदन पर।	-	800	2000	4000	900	2200	4400
8.	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर; (ii) धारा 20(4) या धारा 20(5) के अधीन	6 6	800 800	2000 2000	4000 4000	900 900	2200 2200	4400 4400

	निदेश के लिए अनुरोध पर।							
9.	धारा 25(2) के अधीन पेटेंट को मंजूर करने का विरोध की नोटिस पर।	7	2400	6000	12000	2650	6600	13200
9क.	(i) धारा 25(1) के अधीन पेटेंट अनुदान का विरोध करने के लिए आवदेन फाइल करने पर;	7क	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
10.	नियम 62 के उप-नियम (2) के अधीन यह सूचना देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।	--	1500	3750	7500	1650	4150	8250
11.	धारा 28(2), धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन आवेदन पर।	8	800	2000	4000	900	2200	4400
12.	धारा 11क(2) और नियम, 24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	6250	12500	2750	6900	13750
13.	आवेदन के प्रकाशन के पूर्व धारा 11ख(4) और नियम 26 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के प्रत्याहरण के लिए	29	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं

	आवेदन।							
14.	पेटेंट आवदेन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर - (क) धारा 11ख और नियम 24 के उप-नियम (1) के अधीन; (ख) नियम 20 के उप-नियम (4) के खंड (ii) के अधीन।	18	4000 5600	10000 14000	20000 28000	4400 6150	11000 15400	22000 30800
14 क	नियम 24 ग के अधीन पेटेंट हेतु त्वरित परीक्षण के अनुरोध पर (20 दावों तक)	18 क	50000	125000	250000	55000	137500	275000
14 ख	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए फाइल अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन शीघ्र परीक्षण के अनुरोध मे परिवर्तित करने पर (20 दावों तक)	18 क	46000	115000	230000	50600	126500	253000
15.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	6000	12000	2650	6600	13200

16.	धारा 51(1) या धारा 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवदेन पर।	11	2400	6000	12000	2650	6600	13200
17.	धारा 26(1) या धारा 52(2) के अधीन पेटेंट मंजूर करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	6000	12000	2650	6600	13200
18.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में संपरिवर्तित करने के अनुरोध पर।	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
19.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीनीकरण हेतु							
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	900	2200	4400
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	900	2200	4400
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	900	2200	4400
(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	900	2200	4400

(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष की	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000

	बाबत;							
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सतरहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvi)	सतरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष की बाबत।	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
20.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन/सम्पूर्ण विनिर्देश या अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13						
(i)	पेटेंट मंजूर करने से पूर्व;		800	2000	4000	900	2200	4400
(ii)	पेटेंट मंजूर करने के पश्चात् ;		1600	4000	8000	1750	4400	8800
(iii)	जहाँ नाम/पता/ राष्ट्रीयता या सेवार्थ पते में संशोधन होना		320	800	1600	350	900	1750

	है।							
21.	धारा 57(4), धारा 61(1) और धारा 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध की सूचना या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर।	14	2400	6000	12000	2650	6600	13200
22.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	6000	12000	2650	6600	13200
23.	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस।	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
24.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की नोटिस पर।	--	1000	2500	5000	1100	2750	5500
25.	धारा 69(1) या धारा 69(2) और नियम 90 के उप-नियम (1) और (2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में या अन्यथा के	16	1600 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	4000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	8,000 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	1750 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	4400 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	8,800 (प्रत्येक पेटेंट की बाबत)

	रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।							
26.	नियम 94 और नियम 118 के उप-नियम (1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवदेन पर।	--	320	800	1600	350	900	1750
27.	नियम 94 के उप-नियम (3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर।	--	800	2000	4000	900	2200	4400
28.	धारा 84 (1), धारा 91 (1), धारा 92(1) और धारा 92 क के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर।	17	2400	6000	12000	2650	6600	13200
29.	धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट के	19	2400	6000	12000	2650	6600	13200

	प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर।							
30.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।	20	2400	6000	12000	2650	6600	13200
31.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए अनुरोघ पर।	21	2400	6000	12000	2650	6600	13200
32.	नियम 109 के उप-नियम (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	--	--	3500	--	--
33.	नियम 109 के उप-नियम (3) के अधीन अर्हक परीक्षा में सम्मिलित के लिए अनुरोध पर।	--	1600	--	--	1750	--	--
34.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए- (i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जानी वाली; (ii) प्रत्येक वर्ष के	- -	800 800	-- --	-- --	900 900	-- --	-- --

	लिए पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।							
35.	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के द्वितीय प्रमाण-पत्र के लिए।	--	1600	--	--	1750	--	--
36.	नियम 117 के उप-नियम (1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवदेन पर।	23	1600 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	--	--	1750 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	--	--
37.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।	--	800	2000	4000	900	2200	4400
38.	धारा 77(1)(च) या धारा 77(1) (छ) के अधीन नियंत्रक के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन या उसे अपास्त करने के लिए आवदेन पर।	24	1600	4000	8000	1750	4400	8800

39.	धारा 39 और नियम 71 के उप-नियम (1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवदेन के लिए अनुज्ञा हेतु आवदेन पर।	25	1600	4000	8000	1750	4400	8800
40.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन पेटेंट की द्वितीय प्रति के लिए आवदेन पर।	--	1600	4000	8000	1750	4400	8800
41.	(i) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 के उप-नियम (1) के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध पर।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)

	(ii) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के अनुरोध पर या धारा 147 और नियम 133 के उप-नियम (2) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए	–	3000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	6000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	3300 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	6600 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	13200 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)
42.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	--	800	2000	4000	900	2200	4400
43.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74 (क) के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।	–	320	800	1600	350	900	1750
44.	धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर।	--	480	1200	2400	550	1300	2650
45.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्ररूप पर।	26	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
46.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं	--	1600	4000	8000	1750	4400	8800

	है।							
47.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रति पृष्ठ।	--	8	8	8	10	10	10
48.	अंतर्राष्ट्रीय आवदेन के लिए पारेषण फीस।	--	3200	8000	16000	3500	8800	17600
49.	पूर्वीकता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
50.	धारा 146(2) और नियम 131 के उप-नियम (1) के अधीन भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण के संबंध में कथन पर।	27	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
51.	लघु अस्तित्व मे प्रास्थिति होने का दावा करने के लिए	28	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस

	प्रस्तुत							नहीं
52	नियम 129 क के अधीन सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध (प्रत्येक स्थगन के लिए)		1000	2500	5000	1100	2750	5500
53.	नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन विविध प्ररूप	30	जैसे लागू हो					

सारणी II- वापस देय फीस

प्रविष्टि की संख्या	फीस प्रतिदेय का कारण	प्ररूप संख्या	फीस प्रतिदाय
54	नियम 24 ख के उप-नियम (1क) के अधीन वापस देय फीस की वापसी के अनुरोध पर	प्ररूप 29 क	परीक्षण के अनुरोध के लिए संदत्त फीस का 90%

टिप्पण :

1) सभी प्ररूप, आवदेन, अनुरोध, नोटिसें, अभ्यावेदन को अनुलिपि रूप में फाइल किया जाना चाहिए, जब तक कि नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।"
2) प्रत्येक पृथक गतिविधि के लिए ऊपर दी गयी फीस समीपवर्ती रु.100/- के गुणजों में पूर्णांकित की जाएगी।

29. मूल नियमों मे, दूसरी अनुसूची में, 'प्ररूप' शीर्ष के अंतर्गत, "प्ररूपों की सूची" में-

;पद्ध "प्ररूप संख्या 4", मे, स्तंभ संख्या 2 के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"धारा 53(2), और 142(4); नियम 80 का उप-नियम (1क)।"

(ii) "प्ररूप संख्या 13", मे स्तंभ संख्या 3 के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात:-

" पेटेंट आवेदन या सम्पूर्ण विनिर्देश या उससे संबन्धित अन्य कोई दस्तावेज़ मे संशोधन के लिए आवेदन।";

(iii) "प्ररूप संख्या 18" के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

1	2	3
"18क	धारा 11 ख और नियम 24ग	पेटेंट आवेदन के त्वरित परीक्षा के लिए अनुरोध"

(iv) "प्ररूप संख्या 28" के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

1	2	3
"29	नियम 7 के उप-नियम (4) का खंड (ii) , नियम 26	परीक्षण के अनुरोध के प्रत्याहत और पेटेंट आवेदन के प्रत्याहत के लिए अनुरोध

(v) "प्ररूप संख्या 29" के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

1	2	3
"30	नियम 8 का उप-नियम (2)	जब अन्य कोई प्ररूप विहित न हो तब उपयोग किया जाये।"

30. **मूल नियमों मे, दूसरी अनुसूची मे**

(i) "प्ररूप संख्या 1" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

<table>
<tr><td rowspan="6">प्ररूप 1
पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) और
पेटेंट नियम, 2003
पेटेंट के अनुदत्त के लिए आवेदन
(धारा 7, 54 और नियम 135 तथा नियम 20 का
उप-नियम (1) देखिए)</td><td colspan="2">(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)</td></tr>
<tr><td>आवेदन संख्या.</td><td></td></tr>
<tr><td>फाइल किए जाने की तारीख:</td><td></td></tr>
<tr><td>संदत्त फीस की रकम:</td><td></td></tr>
<tr><td>सीबीआर संख्या:</td><td></td></tr>
<tr><td>हस्ताक्षर:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">1. आवेदक का संदर्भ/पहचान क्रमांक (जो कार्यालय द्वारा आवंटित)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2. आवेदन का प्रकार [उचित श्रेणी मे (✓) का निशान लगाएं]</td></tr>
</table>

सामान्य( )		कन्वेन्शन ( )		पेटेंट सहकारिता संधि - राष्ट्रीय चरण ( )	
प्रभागीय ( )	अतिरिक्त पेटेंट ( )	प्रभागीय ( )	अतिरिक्त पेटेंट ( )	प्रभागीय ( )	अतिरिक्त पेटेंट ( )

3 . आवेदक (आवेदकों का)

पूरा नाम	राष्ट्रीयता	निवास का देश	आवेदक का पता	
			मकान नं.	
			गली	
			शहर	
			राज्य	
			देश	
			पिन कोड	

4. आवेदक का प्रवर्ग [कृपया उचित श्रेणी मे (✓) टिक लगाएँ]

प्रकृत व्यक्ति ( )	प्रकृत व्यक्ति से भिन्न		
	लघु अस्तित्व ( )		अन्य ( )

5. आविष्कारक(आविष्कारकों) की श्रेणी [कृपया समुचित श्रेणी मे (✓) का निशान लगाएँ]

क्या सभी आविष्कारक (आविष्कारकों) का नाम ऊपर नामित आवेदक (आवेदकों) के	हाँ ( )	नहीं( )

<table>
<tr><td>समान है?</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">यदि नहीं " तो आविष्कारक (आविष्कारकों) का ब्यौरा प्रस्तुत करें</td></tr>
<tr><td>पूरा नाम</td><td>राष्ट्रीयता</td><td>निवास का देश</td><td colspan="2">आविष्कारक का पता</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>मकान नं.</td><td></td></tr>
<tr><td>गली</td><td></td></tr>
<tr><td>शहर</td><td></td></tr>
<tr><td>राज्य</td><td></td></tr>
<tr><td>देश</td><td></td></tr>
<tr><td>पिन कोड</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">6. आविष्कार का नाम</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="5">7. यदि आविष्कार मे जैविक सामाग्री का उपयोग किया गया है [कृपया समुचित श्रेणी मे (✓) का निशान लगाएँ]</td></tr>
<tr><td colspan="2">हाँ( )</td><td colspan="3">नहीं( )</td></tr>
<tr><td colspan="5">यदि "हाँ", आविष्कार मे प्रयुक्त जैविक सामग्री के स्रोत का देश और भौगोलिक मूल सूचित करें।</td></tr>
<tr><td colspan="2">जैविक सामग्री का स्रोत</td><td colspan="3">जैविक सामग्री का भौगोलिक मूल</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">8. प्राधिकृत पेटेंट अभिकर्ता(ओं)</td><td>आईएनपीए संख्या</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	नाम	
9. भारत मे आवेदक का पत्राचार के लिए पता।	नाम	
	डाक पता	
	दूरभाष नं.	
	मोबाइल नं.	
	फैक्स नं.	
	ईमेल	

10. कन्वेन्शन देश मे आवेदन की पूर्विक्ता का दावा करने के आवेदन मे, कन्वेन्शन आवेदन की विशिष्टियां

देश	आवेदन संख्या	फाइल किए जाने की तारीख	आवेदक का नाम	आविष्कार का नाम	आईपीसी (जैसा कन्वेन्शन देश मे वर्गीकृत है)

11. पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं.) राष्ट्रीय चरण आवेदन, पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं.) के अधीन फाइल किए गए अंतर्राष्ट्रीय आवेदन का विवरण

अंतर्राष्ट्रीय आवेदन सं.	अंतर्राष्ट्रीय फाइल किए जाने की तारीख

12. धारा 16 के अधीन प्रभागीय आवेदन फाइल किए जाने के लिए, मूल (प्रथम) आवेदन की विशिष्टियां

मूल (प्रथम) आवेदन सं.	मूल (प्रथम) आवेदन के फाइल करने की तारीख

13. **अतिरिक्त पेटेंट फाइल किए जाने के लिए, धारा 54 के अधीन फाइल आवेदन, मुख्य आवेदन या पेटेंट की विशिष्टियां**	
मुख्य आवेदन/ पेटेंट सं.	मुख्य आवेदन फाइल किए जाने की तारीख
14. **घोषणाएं**	
(i) **आविष्कारक (कों) द्वारा घोषणा** **(आवेदक समनुदेशिती होने पर):** आविष्कारक (कों) के साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकते हैं या आवेदक समनुदेशन अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है, या समनुदेशन को निर्धारित अवधि मे डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है। मैं/हम उपरोक्त नामित आविष्कारक(कों) इस आविष्कार के लिए सही और प्रथम आविष्कारक(कों) हूँ/हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदक (कों) मेरा/हमारा समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हा/हैं। (क) तारीख (ख) हस्ताक्षर (ग) नाम	
(ii) **कन्वेन्शन देश मे आवेदक (कों) द्वारा घोषणा** (कन्वेन्शन देश का आवेदक भारत के आवेदक से भिन्न होने पर: कन्वेन्शन देश का आवेदक साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकता है या भारत मे आवेदक कन्वेन्शन देश के आवेदक के समनुदेशन को अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है या समनुदेशन को निर्धारित अवधि मे डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर	

सकता है।

मैं/हम, कन्वेन्शन देश मे आवेदक (कों) के रूप मे घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसके आवेदक मेरे/हमारे सुमनुदेशिती है।

(क) तारीख

(ख) हस्ताक्षर

(ग) नाम

(iii) आविष्कारक (कों) द्वारा घोषणा

मैं/हम आवेदक (कों) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि: -

- ☐ ऊपर वर्णित आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे मे हैं।
- ☐ आविष्कार से संबन्धित अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश इस आवेदन के साथ फाइल किया गया है।
- ☐ विनिर्देश मे प्रकट किए गए आविष्कार मे भारत से जैविक सामाग्री का उपयोग किया जाता है और मैं/हम, मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
- ☐ मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए आक्षेप का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है।
- ☐ मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक हूँ/हैं।

- मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक (कों) के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हूँ/हैं।

- मेरे/हमारे आविष्कार की बाबत आवेदन या आवेदनों मे से प्रत्येक जिनका विशिष्टियां पैरा 9 मे दिया गया है, कन्वेंशन देश/देशों मे पहला आवेदन था।

- मैं/हम कन्वेंशन देश/देशों मे फाइल किए गए ऊपर उल्लिखित आवेदन (नों) से पूर्विक्ता का दावा करता हूँ/करते हैं और कथन करता हूँ/ करते हैं कि आविष्कार की बाबत संरक्षण के लिए कोई आवेदन कन्वेंशन देश मे उस तारीख से पहले मेरे/हमारे द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे मैं/हम हक व्युत्पन्न करता हूँ/करते हैं, नहीं किया गया है।

- मेरा/हमारा भारत मे आवेदन पैरा 10 मे यथा उल्लिखित पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं।) के अधीन अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पर आधारित है।

- आवेदन मेरे/हमारे आवेदन मे से विभाजित किया गया है, जिसमे पृथक आविष्कार बहुलता मे शामिल हैं, जिनका विवरण पैरा 11 मे दिया गया है और प्रार्थना है कि आवेदन को अधिनियम की धारा 16 के अधीन तारीख .....को फाइल किया गया समझा जाए।

- उक्त आविष्कार, उस आविष्कार का सुधार या उपांतरण है जिसका विवरण पैरा 12 मे दिया गया है।

15. आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक हैं

(क) प्ररूप 2

मद	पृष्ठों कि संख्या	फीस	टिप्पणियां
विवरण आवरण पृष्ठ सहित (पूर्ण/अनंतिम)#			
दावा(दावे)			
सार			
आरेखण (ओं)			

पूर्ण विनिर्देश मे, यदि आवेदक अनंतिम विनिर्देश के साथ फाइल आरेखनों को नियम 13(4) के अधीन पूर्ण विनिर्देश के आरेखन या आरेखनों के भाग के रूप मे अपनाना चाहता है, अनंतिम विनिर्देश के ऐसे पृष्ठों के क्रमांक का उल्लेख करना अपेक्षित है।

(ख) पूर्ण विनिर्देश (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप) / अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(ग) इलेक्ट्रोनिक प्रारूप रूप मे अनुक्रम सूची

(घ) आरेखण (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप)/ अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(इ) पूर्वीकता प्राप्ति दस्तावेज़ या (डीएएस) अंकीय पहुँच सेवा से पूर्वीकता दस्तावेज़ (जों) को प्राप्त करने का अनुरोध यदि आवेदक ने पहले फाइल करते समय पूर्वीकता दस्तावेज़ डीएएस को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

(च) पूर्वीकता प्राप्ति दस्तावेज/विनिर्देश/अंतर्राष्ट्रीय तलाश रिपोर्ट/ पेटेंट योग्यता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक रिपोर्ट का अनुवाद।

(छ) प्ररूप 3 मे कथन और वचनबंध

(ज) प्ररूप 5 मे आविष्कारीता की घोषणा

(झ) प्राधिकारी की शक्ति

(त्र) .....

कुल फीस .....रुपए नकद/बेंकर चैक/ बैंक ड्राफ्ट सं. द्वारा ..... तारीख .....बैंक .....

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमे कथित तथ्य और सामग्री मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किया जाये।

.....आज तारीख .....20.....

हस्ताक्षर:

नाम:

सेवा में,

पेटेंट नियंत्रक

पेटेंट कार्यालय

पता.....

टिप्पण: -

*एक से अधिक प्रविष्टि की दशा मे बाक्सों को दोहराएं।

*आवेदक (कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता द्वार अन्यथा जहां उल्लिखित हो, हस्ताक्षर किया जाये।

*पैरा 13 की घोषणा मे जो लागू हो/नहीं लागू हो उस पर सही (✓)/क्रास (x) का निशान लगाएं।

*उस/उन भाग/भागों को काट दें जो लागू नहीं होता है/होते हैं।

*फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए।";

(ii) **"प्ररूप संख्या 2" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-**

प्ररूप 2

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)और

पेटेंट नियम, 2003

अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश

(धारा 10 और नियम 13 देखिए)

1. आविष्कार का नाम

2. आवेदक (कों) का

(क) नाम:

(ख) राष्ट्रिकता :

(ग) पता:

3. वर्णन कि उद्देशिका

अनंतिम	**पूर्ण**
निम्नलिखित विनिर्देश आविष्कार को वर्णित करता है।	निम्नलिखित विनिर्देश विशिष्टि रूप से आविष्कार को और उस रीति को वर्णित करता है जिसमे इसका कार्यपालन होना है।

4. वर्णन (अगले पृष्ठ से आरंभ होगा)

विवरण के भाग का शीर्षक अधिमानतः इस प्रकार होगा:

(i) आविष्कार का क्षेत्र

(ii) पृष्ठभूमि पूर्व कला

(iii) आविष्कार की वस्तु (वस्तुएँ)

(iv) आविष्कार का सारांश

(v) संलग्न आरेखणों का संक्षिप्त विवरण

(vi) आविष्कार करने की उत्तम विधि(यों) सहित आविष्कार का विस्तृत वर्णन (vii) औद्योगिक प्रयोज्यता (viii)प्रशंसा पत्र की सूची (पृथक पृष्ठ पर)
5. दावे (अनंतिम विनिर्देश के लिए लागू नहीं)। दावे उद्देशिका से आरंभ करें - (पृथक पृष्ठ पर) **"मैं/हम यह दावा करता हूँ/करते हैं कि"** -
6. तारीख और हस्ताक्षर (विनिर्देश के अंतिम पृष्ठ के अंत मे किए जाएं)
7. आविष्कार का सारांश (पृथक पृष्ठ पर पूर्ण विनिर्देश के साथ दिया जाए)
टिप्पण: • एक से अधिक प्रविष्टि की दशा मे बाक्सों को दोहराएं। • आवेदक (कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। • आवेदक का पूरा नाम दें और आरंभ मे कुटुंब का पूरा नाम दें। • आवेदक का पूर्ण पता दिया जाना चाहिए जिसमे डाक सूचना सं./कोड, राज्य और देश का कथन करना चाहिए। • उस/उन भाग/भागों को काट दें जो लागू नहीं होता है/होते हैं।

(iii) **"प्ररूप संख्या 3" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-**

प्ररूप 3 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और

पेटेंट नियम, 2003

धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध

(धारा 8, नियम 12 देखिए)

1. आवेदक (कों) का नाम	मैं/हम..... .... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं:
2. संयुक्त आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता	(i) यह कि मैंने/ हमने उसी आविष्कार/मूलतः उसी आविष्कार के लिए भारत से बाहर आवेदन नहीं किया है या (ii) यह कि मैं/हम जिसने/जिन्होंने/ स्वयं .....एकमात्र रूप से/..... के साथ संयुक्त रूप से यह आवेदन तारीख ..... किया हैं जो उसी तात्विक रूप से उसी आविष्कार पर पेटेंट के लिए आवेदन दूसरे देशों, में जिनके विवरण निम्नलिखित हैं, किया गया है :

देश का नाम	आवेदन की तारीख	आवेदन सं.	आवेदन कि प्रास्थिति	प्रकाशन की तारीख	अनुदान करने की तारीख

3. समनुदेशिती का नाम और पता	(iii) यह कि आवेदन (आवेदनों) पर.....को अधिकार

	संनुदेशिक किया गया है/ हैं कि नियंत्रक द्वारा पेटेंट अनुदान करने की तारीख तक, मैं / हम नियंत्रक को लिखित रूप मे भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल किए गए संगत आवेदनों के विवरणों की सूचना उनके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर देता रहूँगा/ देते रहेंगे। .....आज तारीख .....20.....
4. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	हस्ताक्षर .....
5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं।	(.....).
	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
टिप्पण- जो लागू न हो उसे काट दें।";	

(iv) "प्ररूप संख्या 4" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 4

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

समय विस्तार के लिए अनुरोध

[धारा 53(2) और 142(4); नियम 24ख(5), 24ग(10) और 80(1क)]

1. आवेदक का नाम	मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन/ पेटेंट सं. ..... के संबंध मे ..... धारा / नियम के अधीन ..... माह के समय-विस्तारण के लिए घोषणा करता हूँ/ करते हैं। अनुरोध करने के निम्नलिखित कारण हैं:- ....आज तारीख .....20.....
2. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	हस्ताक्षर (.....)
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं	
	सेवा मे,

	पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
टिप्पण : फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए।";	

(v) "प्ररूप संख्या 13" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 13 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **पेटेंट आवेदन/पूर्ण विनिर्देश/ अन्य किसी संबन्धित दस्तावेज़ के लिए आवेदन के संशोधन के लिए आवेदन** [धारा 57; नियम 81 का उप-नियम (1) देखिए]	
1. आवेदक (कों) का नाम	मैं/हम..... पेटेंट के लिए आवेदन सं. ..... तारीख ..... की बाबत आवेदन, अन्य किसी संबन्धित दस्तावेज़/पूर्ण विनिर्देश का संशोधन करने की इजाजत के लिए, जैसा कि इससे संलग्न प्रति में उल्लिखित है, अनुरोध करता हूँ/ करते हैं।

	यह अनुरोध करने के लिए मेरे/हमारे कारण निम्नानुसार हैं:- .... मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि प्रश्नगत पेटेंट के अतिलंघन के लिए या प्रतिसंहरण के लिए कोई कार्यवाही किसी अपील बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है। मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही है।
2. आवेदक या पेटेंटी या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	.....आज तारीख .....20..... हस्ताक्षर .....
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं	(.....)
	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,

	पता.....
टिप्पण : फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए।";	

(vi) "प्ररूप संख्या 18" के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 18 क **पेटेंट अधिनियम, 1970** **और पेटेंट नियम, 2003** **पेटेंट आवेदन के शीघ्र परीक्षण के लिए अनुरोध** **[धारा 11 ख और नियम 24ग देखिए]**	(केवल कार्यालय उपयोग के लिए) अनुरोध सं..: फाइल करने की तारीख: संदाय की गई फीस की रकम: सीबीआर सं.: हस्ताक्षर:
1. आवेदक (कों) का (क) नाम: (ख) राष्ट्रीयता: (ग) पता:	
2. मैं/हम ---------- अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे पेटेंट के लिए किए गए पेटेंट आवेदन सं. ----------जिसको ---------- आविष्कार का नाम ---------- के लिए फाइल किया गया था का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और 13 के अधीन किया जाए। या मैं/हम अनुरोध करते हैं कि मेरे/हमारे पेटेंट के लिए प्रभागीय आवेदन सं. ----------	

जिसको --------आविष्कार का नाम ----------के लिए --------को------- फाइल किया गया था मे से विभाजित आवेदन सं.---------- दिनांक ---------- का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और 13 के अधीन किया जाए।

या

मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि --------आविष्कार का नाम---------- पेटेंट के लिए पेटेंट आवेदन सं. जिसको --------- को----- फाइल किया गया के परीक्षण के अनुरोध सं. को नियम 24 ग के अधीन पेटेंट आवेदन के शीघ्र परीक्षण के अनुरोध मे रूपांतरित किया जाए और आवेदन का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन किया जाए।

3. आवेदक लागू कारणों पर (उचित बॉक्स मे निशान लगा कर) दर्शाएं यदि शीघ्र परीक्षण के लिए अनुरोध निम्नलिखित कारणों मे से किसी कारण के लिए किया गया है:

☐ क) कि आवेदक ने उसके अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आवेदन को यथास्थिति नियम 19 (क) और 19 (च), के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी/ अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप मे नामित किया है, या

☐ ख) कि आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी निर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) ने भारत मे आविष्कार का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है, या

☐ ग) कि आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी निर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) यह वचनबंध देते हैं कि यदि वह अनुदत्त होता है, तो पेटेंट अनुदान की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर आविष्कार का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।

भारत मे सेवार्थ पता:

.....आज तारीख .....20.....
हस्ताक्षर
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
सेवा मे,
पेटेंट नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय,
पता.....
टिप्पण:
आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए
जो लागू न हो उसे स्तंभ काट दें।";

(vii) **"प्ररूप संख्या 27" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-**

प्ररूप 27

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट किए गए आविष्कार के भारत मे वाणिज्यिक पैमाने पर कार्यकरण के संबंध में कथन

[धारा 146 (2) और नियम 131 का उप-नियम (1)देखिए]

<table>
<tr><td>1. पेटेंटी (यों) या अनुज्ञप्तिधारी (यों) का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें</td><td colspan="3">तारीख ..... के पेटेंट सं. ..... के मामले मे मैं/हम .....
ऊपर निर्दिष्ट पेटेंट किए गए आविष्कार के वाणिज्यिक पैमाने पर कार्यकरण के संबंध मे निम्नलिखित वर्णन प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं:</td></tr>
<tr><td>2. वह वर्ष जिससे यह विवरण संबन्धित है।</td><td colspan="3">वर्ष के लिए .....</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3. कार्यकरण का ब्यौरा</td><td colspan="3">पेटेंटी द्वारा:</td></tr>
<tr><td>मद</td><td>उत्पाद की मात्रा</td><td>मूल्य (रुपये मे)</td></tr>
<tr><td>क) भारत मे विनिर्मित</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ख) अन्य देशों से</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	आयातित (देशवार ब्यौरा दें)		
	ग) अनुज्ञप्ति अनुदत्त		
	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा:	अनन्य □	गैर-अनन्य □
	मद	उत्पाद की मात्रा	मूल्य (रुपये मे)
	क) भारत मे विनिर्मित		
	ख) अन्य देशों से आयातित (देशवार ब्यौरा दें)		
	ग) उप-अनुज्ञप्ति अनुदत्त		
4. पेटेंट के उपयोग के द्वारा वाणिज्यित उत्पादों का विवरण			
5. यदि कार्यकरण नहीं, कृपया कार्यकरण नहीं होने और कार्यकरण के लिए उठाए गए कदम बताएं	पेटेंटी (ओं)/ अनुज्ञप्तिधारी(ओं):		
6. कथन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षरित	[6]पेटेंटी/ अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर.....		

किया जाए।	
7. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और सरकारी मुहर, यदि कोई हो सहित	(.....)
	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
टिप्पण: (i) जो लागू न हो उसे काट दें। (ii) एक से अधिक प्रविष्टि की दशा मे बाक्सों को दोहराएं।";	

(viii) "प्ररूप संख्या 28" के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 29

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

परीक्षण के अनुरोध के आहरण के लिए अनुरोध और पेटेंट के लिए आवेदन के आहरण के लिए अनुरोध

[धारा 11ख(4) और नियम 7 के उप-नियम (4) का खंड (ii)], नियम 26 देखिए]

1. आवेदक का नाम	मैं/हम[1] ---------- अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा पेटेंट के लिए आवेदन सं. ---------- तारीख ---------- के संदर्भ मे फाइल किए गए परीक्षण के लिए अनुरोध सं. ---------- तारीख ---------- को नियम 7 के उप-नियम (4) के खंड (ii) के अधीन वापस लिया गया समझा जाएगा।
2. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	या मैं/हम ---------- अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा फाइल किए गए पेटेंट के लिए आवेदन सं. ---------- तारीख ---------- को धारा 11ख(4) और नियम 26 के अधीन वापस लिया गया समझा जाएगा।
3. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का	

नाम	.....आज तारीख .....20..... हस्ताक्षर (_____) सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

प्ररूप 30

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

जब कोई अन्य प्ररूप निर्धारित नहीं है तब उपयोग किया जाए

[नियम 8 का उप-नियम (2) देखिए]

1. आवेदक/पेटेंटी/अन्य का नाम	मैं/हम .....

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">.....</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2. ईमेल, दूरभाष, मोबाइल नं. और फैक्स नं. के साथ डाक सूचक सं./ कोड और राज्य सहित पूरा पता</td><td>मकान सं.
गली</td><td>--
--</td><td>दूरभाष नं.
मोबाइल नं.</td><td>--
----</td></tr>
<tr><td>शहर
राज्य
देश</td><td>--
--
--</td><td>फैक्स नं.</td><td>--</td></tr>
<tr><td>पिन कोड</td><td>--</td><td>ईमेल</td><td>--</td></tr>
<tr><td>3. आवेदन सं./पेटेंट सं.</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4. प्रासंगिक धारा/नियम</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5. अनुरोध का अनुरोध</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>6. अनुरोध का ब्यौरा</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>7. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए</td><td colspan="4">हस्ताक्षर.....</td></tr>
<tr><td>8. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और सरकारी मुहर, यदि कोई हो सहित</td><td colspan="4">(.....)</td></tr>
</table>

	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

एफ.सं. 14/3/2014. बौद्धिक सम्पदा अधिकार-III

(राजीव अग्रवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II , खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 493 (अ) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया -

(i) का. आ. 1418 (अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2004;
(ii) का. आ. 657 (अ) तारीख 5 मई, 2006;
(iii) का. आ. 2296 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 2012;
(iv) का. आ. 1029 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 2013 और
(v) सा.का.नि. 125 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2014